

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

अंडों के लिए निर्यात क्षेत्र

3872. श्री ए.के.पी. चिनराज:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का पूरे वर्ष अनन्य रूप से अंडों के निर्यात को सुकर बनाने के लिए अंडों के निर्यात हेतु एक पृथक निर्यात क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जिसके परिणामस्वरूप देश के कुक्कुट व्यापार का समग्र विकास होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): सरकार का अंडों के निर्यात के लिए अनन्यतः निर्यात क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कृषि निर्यात नीति के तहत घरेलू खपत के लिए आपूर्ति बढ़ाने के साथ-साथ निर्यात प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु के नमक्कल, सेलम और इरोड जिलों में कुक्कुट उत्पादों और अंडों के लिए एक नया उत्पाद क्लस्टर शामिल किया गया है। ।

**दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए
समुद्री उत्पादों का निर्यात**

4076. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय समुद्री उत्पादों का बड़ा भाग यूरोपियन यूनियन को निर्यात किया जाता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात पर कुछ प्रक्रिया संबंधी रोक लगाई है/लगाने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्र को इसके कारण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा; और
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

(क) जी हां। यूरोपीय संघ (अमेरिकी डॉलर में निर्यात मूल्य का 12.96 प्रतिशत) संयुक्त राज्य अमेरिका (34 प्रतिशत) और दक्षिण पूर्व एशिया (21.7 प्रतिशत) के बाद समुद्री उत्पादों के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गन्तव्य देश है।

(ख) यूरोपीय संघ को समुद्री उत्पादों के निर्यात और भारत से कुल समुद्री उत्पादों के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी का विवरण अधोलिखित तालिका में दिया गया है-

वर्ष	कुल निर्यात			यूरोपीय संघ को निर्यात			% हिस्सा		
	मात्रा(एमटी)	मूल्य		मात्रा(एमटी)	मूल्य		मात्रा(एमटी)	मूल्य	
		रुपए (करोड़ में)	अमेरिकी डॉलर (मिलियन में)		करोड़ रुपए	मिलियन अमेरिकी डॉलर		रुपए करोड़ में	मिलियन अमेरिकी डॉलर
2018-19	1356098	46085.70	6670.37	159274	6000.93	864.16	11.75	13.02	12.96
2017-18	1377244	45106.89	7081.55	190314	7115.96	1116.74	13.82	15.78	15.77
2016-17	1134948	37870.90	5777.61	189833	6892.19	1038.59	16.73	18.20	17.98

(ग) जी नहीं, यूरोपीय संघ ने भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रक्रियागत प्रतिबंध नहीं लगाया है।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) एवं (च) प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

सोयाबीन का आयात

4074. श्री सुनिल बाबूराव मेंधे:

श्री रामदास तडस:

श्री रवि किशन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में सोयाबीन का रिकार्ड आयात हुआ है तथा इसके और अधिक आयात की संभावना है क्योंकि गत वर्ष के कम उत्पादन के कारण इसकी घरेलू आपूर्ति में गिरावट आई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या व्यापारियों ने अफ्रीकी देशों के साथ-साथ अन्य देशों से आयातित सोयाबीन की बिक्री हेतु किसी सौदे पर हस्ताक्षर किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान सोयाबीन के आयात और घरेलू उत्पादन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

(मात्रा लाख मीट्रिक टन/मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

मद: सोयाबीन	घरेलू उत्पादन	आयात	
वर्ष	मात्रा	मात्रा	मूल्य
2016—17	132	0.81	42.37
2017—18	109	0.89	41.71
2018—19	137*	1.57	78.57

*तीसरा अग्रिम प्राक्कलन

(ग) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

नई निर्यात प्रोत्साहन योजना

4062. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार भारत से व्यापारिक सामग्री निर्यात की विद्यमान योजना के स्थान पर माल-खेपों की एक नई निर्यात-प्रोत्साहन योजना लाने पर विचार कर रही है जो विश्व व्यापार संगठन के मानदण्डों के अनुसार होगी;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि निर्यातक भारत से व्यापारिक सामग्री निर्यात योजना (एमईआईएस) से बहुत खुश नहीं थे; और
- (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम, भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) और भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) जैसी विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है और बदलती हुई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन स्कीमों की नियमित समीक्षा/उनमें सुधार करती है। इस कार्य में, जब भी आवश्यक हो, डब्ल्यूटीओ शर्तों का अनुपालन जैसे संबंधित वित्तीय लेखात्मक मुद्दों का समुचित मूल्यांकन शामिल है।

(ग) और (घ): निर्यातकों से ऐसा कोई फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है।

**दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए
एसईजेड हेतु चयनित क्षेत्र**

4047. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विशेष आर्थिक ज़ोन (एसईजेड) के तहत चयनित क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा और उपरोक्त ज़ोनों की मौजूदा स्थिति क्या है;
- (ख) क्या सरकार की बिहार के पिछड़ेपन के मद्देनजर वहां विशेष आर्थिक ज़ोन योजना के तहत किसी क्षेत्र को विकसित करने हेतु चयनित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान इस नियम के तहत विकसित एसईजेड क्षेत्र से सरकार को प्राप्त राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

(क) एसईजेड अधिनियम, 2005 का अधिनियमन होने से पूर्व, केंद्रीय सरकार के 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और राज्य/निजी क्षेत्र के 12 एसईजेड थे। इसके अतिरिक्त, देश में एसईजेड की स्थापना करने के लिए 416 प्रस्तावों को एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्तमान में, 351 एसईजेड अधिसूचित हैं जिनमें से 232 एसईजेड प्रचालनात्मक हैं। एसईजेड का राज्य/संघशासित क्षेत्र वार विवरण अनुबंध -1 में दिया गया है।

(ख) एवं (ग): एसईजेड अधिनियम, 2005 एवं एसईजेड नियम, 2006 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्य रूप से निजी निवेश प्रेरित हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना वस्तुओं के विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने के लिए या दोनों के लिए या एक मुक्त व्यापार एवं भंडारण क्षेत्र के रूप में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग की जा सकती है। संबंधित राज्य सरकार की लिखित सहमति के बाद ही अनुमोदन बोर्ड द्वारा एसईजेड की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। वर्तमान में, बिहार में किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना का कोई प्रस्ताव वाणिज्य विभाग के पास लंबित नहीं है।

(घ) एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अनुसार, एसईजेड से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को हटाई गई किसी भी वस्तु पर सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के तहत, पाटनरोधी, प्रतिसंतुलनकारी एवं रक्षोपाय शुल्कों सहित, यथा लागू सीमा शुल्क उसी तरह प्रभार्य होगा, जैसा कि इन वस्तुओं के आयात किए जाने पर उद्ग्राह्य होता है। विकसित एसईजेड से पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वर्षवार प्राप्त राजस्व अधोलिखित है:

घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र विक्रय लेनदेन के लिए शुल्क से वर्ष-वार राजस्व	
वर्ष	भुगतान की गई शुल्क राशि(करोड़ रुपये में)
2014-15	3,035
2015-16	4,183
2016-17	5,528
2017-18	18,095
2018-19	26,810

अनुमोदित एसईजेड का राज्य/ संघशासित क्षेत्र वार वितरण					
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पूर्व स्थापित केंद्रीय सरकार के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पूर्व स्थापित राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड	कुल प्रचालनात्मक एसईजेड(एसईजेड अधिनियम से पूर्व + एसईजेड के अधिनियम के तहत सहित)
आंध्रप्रदेश	1	0	32	27	19
चंडीगढ़	0	0	2	2	2
छत्तीसगढ़	0	0	2	1	1
दिल्ली	0	0	2	0	0
गोवा	0	0	7	3	0
गुजरात	1	2	28	24	20
हरियाणा	0	0	24	21	6
झारखंड	0	0	1	1	0
कर्नाटक	0	0	62	51	31
केरल	1	0	29	25	19
मध्यप्रदेश	0	1	10	5	5
महाराष्ट्र	1	0	49	43	30
मणिपुर	0	0	1	1	0
नागालैंड	0	0	2	2	0
ओडिशा	0	0	7	5	5
पुडुचेरी	0	0	1	0	0
पंजाब	0	0	5	3	3
राजस्थान	0	2	5	4	3
तमिलनाडु	1	4	53	50	40
तेलंगाना	0	0	63	57	29
उत्तर प्रदेश	1	1	24	21	12
पश्चिम बंगाल	1	2	7	5	7
कुल योग	7	12	416	351	232

**दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए
चाय उत्पादकों का कल्याण**

4045. डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल विशेषकर जलपाईगुड़ी में चाय उत्पादकों के उत्पादन और आय में वृद्धि करने के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार इन किसानों को आसानी से ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के साथ जोड़ने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत वर्ष के दौरान चाय के आयात की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मात्रा और मूल्य कितना है; और
- (घ) क्या सरकार का उत्तर बंगाल विशेषकर जलपाईगुड़ी में चाय के नवोन्मेष से संबंधित कोई अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

(क) सरकार, चाय बोर्ड के जरिये चाय विकास एवं संवर्धन स्कीम (टीडीपीएस) का कार्यान्वयन कर रही है जो चाय का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने एवं चाय बगान के मजदूरों तथा उनके आश्रितों हेतु कल्याणकारी उपायों के लिए जलपाईगुड़ी जिले को कवर करते हुए पश्चिम बंगाल के चाय बगानों सहित देश में चाय उद्योग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। चाय बोर्ड ने 2016-17 से 2018-19 तक के पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 218.20 करोड़ रुपये का संवितरण किया है जिसमें पश्चिम बंगाल का शेयर 44.50 करोड़ रुपये था।

(ख) टीपीडीएस के अनुसार, चाय उद्योग या चाय उपजकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) निर्यात किए जाने से पहले चाय को अधिकांशतः ब्लेण्ड किया जाता है, जिस कारण इस प्रक्रिया में उद्गम(राज्य/संघशासित क्षेत्रवार) महत्वहीन हो जाता है। इसलिए, राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के निर्यात हिस्से से संबंधित आंकड़े चाय बोर्ड द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 2018-19 के दौरान चाय का क्षेत्र वार निर्यात(क्षेत्र के बंदरगाहों के आधार पर) निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

क्षेत्र	मात्रा एम.किग्रा. में	मूल्य करोड़ रुपये में	इकाई कीमत रुपए/किग्रा. में
उत्तर भारत	152.83	3748.40	245.27
दक्षिण भारत	101.67	1758.44	172.96
संपूर्ण भारत	254.50	5506.84	216.38

स्रोत: चाय बोर्ड

(घ) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए
विश्व व्यापार संगठन

4017. श्रीमती रेखा वर्मा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जनरल काउंसिल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) ने भारत को मौजूदा राजसहायता नियमों से छूट देने की मांग को तब तक के लिए स्वीकार कर लिया है जब तक कि देश को अपने खाद्य भंडारण के संबंध में स्थायी समाधान नहीं मिल जाता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ प्राप्त हुए हैं;
- (ग) क्या खाद्य सुरक्षा के मुद्दे के लिए एक स्थायी समाधान खोजने के प्रयास किए गए हैं ताकि कृषि राजसहायता का आकलन किया जा सके और इसे नैरोबी में होने वाली डब्ल्यूटीओ की संभावित बैठक में पेश किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या कुछ देशों ने वर्ष 2015 के बाद उक्त छूट का विरोध किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छूट की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) एवं (ख) नवंबर 2014 में जनरल काउंसिल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन(डब्ल्यूटीओ) द्वारा लिया गया निर्णय यह स्पष्ट करता है कि वह तंत्र, जिसके तहत डब्ल्यूटीओ सदस्य कृषि सम्बंधी डब्ल्यूटीओ करार के तहत कतिपय प्रतिबद्धताओं के संबंध में, खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विकासशील देशों के सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम को चुनौती नहीं देंगे, तब तक निरंतर बना रहेगा जब तक इस मुद्दे के बारे में किसी स्थायी समाधान पर सहमति नहीं हो जाती और उसको अंगीकृत नहीं कर लिया जाता। इस प्रकार, यह निर्णय कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के तहत इसकी प्रतिबद्धताओं के भंग होने की किसी आशंका से भारत के सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम को संरक्षित करता है। इस निर्णय में एक स्थायी समाधान पाने की वचनबद्धता भी शामिल है।

(ग),(घ) एवं (ङ) दिसंबर 2015 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यूटीओ) के नैरोबी मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में सर्व-सम्मति से वर्ष 2013 में बाली मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के दौरान निर्णीत अन्तरिम शांति खण्ड और जनरल काउन्सिल के वर्ष 2014 के उस निर्णय की पुनः पुष्टि हुई जिसमें खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विकासशील देशों के सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम को कृषि सम्बंधी डब्ल्यूटीओ करार के तहत कतिपय प्रतिबद्धताओं के संबंध में चुनौती दिए जाने से अनंत काल तक संरक्षण का प्रावधान तब तक के लिए किया गया है जब तक कि किसी स्थायी समाधान पर सहमति नहीं हो जाती और उसे अंगीकार नहीं कर लिया जाता। नैरोबी में, सदस्यों ने एक स्थायी समाधान प्राप्त करने की दिशा में रचनात्मक रूप से कार्य करने पर भी सहमति जताई। भारत विकासशील सदस्यों के एक सम्मिलन समूह जी-33 का एक सदस्य है और खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे पर वार्ता करने एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है।

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि निर्यात जोन

3980. श्री प्रतापराव जाधव:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि अनुसार देश में कार्यशील कृषि निर्यात जोनों (एईजेड) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त राज्यों/एईजेड में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या नीति बनाई गई है, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात का राज्य-वार/उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) सरकार ने वर्ष 2004-05 तक 20 राज्यों में 60 कृषि निर्यात क्षेत्र अधिसूचित किए थे। सभी कृषि निर्यात क्षेत्रों ने अपनी 5 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है। अतएव, अब तक की स्थिति के अनुसार देश में कोई भी कृषि निर्यात क्षेत्र कार्यशील नहीं हैं।

(ख) कृषि निर्यातों का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। कृषि निर्यात का बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित दृष्टि से एक व्यापक कृषि निर्यात नीति प्रस्तुत की है:

"भारत का कृषि में वैश्विक शक्ति बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतिगत साधनों के माध्यम से भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का उपयोग करना।"

कृषि निर्यात नीति के भाग के रूप में, निर्यात संवर्धन के लिए छियालिस विशिष्ट उत्पाद जिला समूहों की पहचान की गई है। किसी उत्पाद/समूह की पहचान निर्यात में यागदान देने वाले मौजूदा उत्पादन, निर्यातकों के संचालनों, संचालनों की मापनीयता, निर्यात बाजार का हिस्सा/भारत का हिस्सा एसपीएस आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता, तथा लघु अवधि में निर्यात में वृद्धि की संभावना के आधार पर की जाती है।

सरकार ने माल दुलाई के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करने, कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए माल दुलाई नुकसान कम करने, और कृषि उत्पादों का विपणन करने के लिए केन्द्रीय सेक्टर की एक नई स्कीम- 'विशिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन एवं विपणन सहायता' प्रारंभ की है।

वाणिज्य विभाग की भी, कृषि उत्पादों के निर्यात सहित, निर्यात का बढ़ावा देने के लिए कई याजनाएं हैं अर्थात् निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) आदि। इसके अलावा, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तम्बाकू बाई, चाय बाई, कॉफी बाई, रबर बाई और मसाला बाई की निर्यात प्रमोशन स्कीमों के तहत कृषि उत्पादों के निर्यातकों का सहायता भी उपलब्ध है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से कृषि निर्यात का उत्पाद-वार विवरण **अनुबंध- I** पर दिया गया है। निर्यातों के राज्य-वार डेटा वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएवंएस) द्वारा प्रकाशित नहीं किये जाते हैं।

कृषि उत्पादों का निर्यात

मात्रा: हजार इकाइयों में; मूल्य: मिलियन अमेरिकी डॉलर

विवरण		2016-17		2017-18		2018-19	
	इकाई	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
समुद्री उत्पाद	किग्रा	11,85,272.87	5,903.06	14,32,456.67	7,389.22	14,36,680.63	6,802.24
चावल-बासमती	टन	3,985.21	3,208.60	4,056.85	4,169.56	4,414.61	4,712.44
भैंस का मांस	टन	1,323.58	3,903.49	1,350.25	4,037.11	1,233.38	3,587.15
मसाले	किग्रा	10,14,453.31	2,851.95	10,96,322.85	3,115.37	10,91,789.68	3,322.56
चावल (बासमती से इतर)	टन	6,770.83	2,525.19	8,818.53	3,636.60	7,599.75	3,040.22
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	टन	996.09	1,621.11	1,101.47	1,894.25	1,143.07	2,104.41
तेल खाद्य	टन	2,632.26	805.45	3,570.78	1,093.16	4,486.14	1,511.52
चीनी	टन	2,544.01	1,290.71	1,757.93	810.9	3,987.96	1,359.75
अरंडी का तेल	किग्रा	5,99,195.56	674.73	6,97,092.50	1,043.99	6,19,376.57	883.78
चाय	किग्रा	2,43,429.62	731.26	2,72,894.98	837.36	2,70,300.12	830.9
कॉफी	किग्रा	2,88,613.37	842.84	3,17,828.97	968.57	2,82,889.02	822.34
ताजी सब्जियाँ	टन	3,404.07	863.12	2,448.02	821.76	2,933.37	810.44
ताजे फल	टन	817.06	743.23	714	761.79	754.75	794.04
ग्वारगम खाद्य	टन	419.95	463.35	494.13	646.94	513.22	674.88
विविध संसाधित मर्दे		-	455.59	-	550.55	-	658.35
काजू	टन	91.79	786.93	90.06	922.41	78.22	654.43
प्रसंस्कृत फल एवं रस	किग्रा	5,33,152.10	584.79	5,73,281.42	646.92	5,92,174.58	639.65
तंबाकू अविनिर्मित	किग्रा	2,04,447.42	634.38	1,85,363.88	593.88	1,89,538.70	570.28
अनाज से तैयार खाद्य	टन	339.95	531.7	353.35	552.61	347.77	551.74
तिल के बीज	किग्रा	3,07,328.55	402.17	3,36,850.37	463.9	3,11,987.34	538.94
दुग्ध उत्पाद	किग्रा	90,352.31	253.73	1,02,262.55	303.05	1,80,698.38	481.55
मूंगफली	टन	725.71	809.6	504.04	524.82	489.19	472.74
तम्बाकू निर्मित		-	324.31	-	340.37	-	410.96
अन्य अनाज	टन	734.77	212.3	864.24	248.59	1,277.00	349.06
मादक पेय	लीटर	2,32,179.33	298.9	2,41,013.37	326.67	2,31,601.93	300.91
संसाधित सब्जियाँ	किग्रा	1,92,855.77	263.57	2,12,203.36	282.87	2,28,872.64	293.95
दालें	टन	136.72	191.05	179.6	227.75	285.83	259.34
काफ़ा उत्पाद	किग्रा	25,649.50	162.18	29,579.53	177.47	27,603.73	192.69
मिल्ड उत्पाद	किग्रा	2,55,803.65	121.37	2,70,396.97	136.01	3,07,367.50	151.46
अन्य तिलहन	टन	193.27	126	295.1	174.79	213.83	131.57
फल / सब्जी के बीज	किग्रा	11,288.62	78.16	14,465.77	104.04	17,419.48	124.92
भेड़ / बकरी का मांस	टन	22.01	129.69	22.8	130.9	21.67	124.65
वनस्पति तेल	टन	60.47	116.29	37.06	87.83	49.95	106.79
कुक्कुट उत्पाद		-	79.11	-	85.7	-	98.17
सीरा	टन	390.67	47.06	123.97	15.06	841.16	83.76
पुष्पात्पाद	किग्रा	22,020.33	81.55	20,703.51	78.73	19,726.56	81.78
पशु केसिंग	किग्रा	173.24	2.06	12,424.66	50.68	14,882.83	68.27
गेहूँ	टन	265.61	66.85	322.79	96.72	226.23	60.31
चपड़ा	किग्रा	6,065.00	33.6	6,530.85	44.22	6,996.04	43.7
नाइजर बीज	किग्रा	14,070.46	17.46	9,215.04	10.84	13,370.58	13.64
प्राकृतिक रबड़	टन	24.46	37.65	7.7	13.89	6.66	11.02
काजू खाद्य तरल	किग्रा	11,404.76	6.56	8,325.16	5.06	5,300.66	3.87
संसाधित मांस	टन	0.14	0.69	0.27	1.54	0.41	2
अन्य मांस	टन	0.01	0.03	0.45	1.09	0.85	1.96
कुल			33,283.41		38,425.52		38,739.10

स्रोत: डीजीसीआईएवंस

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए
इत्र का निर्यात

3978. श्री सुब्रत पाठक:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के कन्नौज में विनिर्मित इत्र का निर्यात करने के लिए कोई पहल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): सरकार ने इत्र के निर्यात को बढ़ावा देने सहित, निर्यातों के संवर्धन हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किये हैं :

- (i) दिनांक 1.4.2015 को एक नई विदेश व्यापार नीति 2015-20 प्रारंभ की गई थी । इस नीति में, अन्य बातों के साथ - साथ, वस्तुओं के निर्यात में सुधार लाने के लिए भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) नामक एक नई स्कीम प्रारंभ की गई । इत्रों के निर्यात के लिए एमईआईएस स्कीम के तहत प्रोत्साहन पुरस्कार उपलब्ध हैं ।
- (ii) दिनांक 1.4.2015 से श्रम गहन/एमएसएमई सेक्टरों के लिए ब्याज समकरण प्रदान करने हेतु पोत लदान पूर्व एवं पोत लदान पश्चात रूपया निर्यात क्रेडिट ब्याज समकरण स्कीम प्रारंभ की गयी जिसमें इत्र क्षेत्र शामिल था ।
- (iii) देश में निर्यात अवसरंचना अंतरालों का समाधान करने के लिए दिनांक 1.4.2017 से " निर्यात व्यापार अवसरंचना स्कीम (टीआईईएस) " नामक एक नई स्कीम प्रारंभ की गई । उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इत्रों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए राज्य सरकार अथवा किसी एजेन्सी से अबतक टीआईईएस के तहत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

अमरीका द्वारा आयात प्रशुल्क में परिवर्तन

3961. श्री प्रसून बनर्जी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईरान और अमरीका के मध्य बढ़ते तनाव का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) अमरीका द्वारा आयात प्रशुल्क में हाल ही में किए गए परिवर्तन से भारतीय उद्योग किस स्तर तक प्रभावित होगा; और

(ग) सरकार की इस स्थिति से निपटने की क्या योजना है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

- (क) ईरान और अमेरिका के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध अपनी दम पर खड़े हैं और अन्य देशों के बीच संबंधों से प्रभावित नहीं होते हैं। भारत सरकार लगातार अपने राष्ट्रीय हितों पर इसके असर पर सभी घटनाक्रमों की निगरानी करता है और उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करता है
- (ख) अमेरिका ने वैश्विक आधार पर मार्च, 2018 में इस्पात और एल्युमीनियम पर क्रमशः 25% और 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया जबकि भारत के इस्पात निर्यातों में वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अमेरिका में प्रभावित लाइनों में 35% की गिरावट आई और इसी अवधि के दौरान प्रभावित लाइनों में एल्युमीनियम के निर्यात में 14% की वृद्धि हुई है।
- (ग) भारत इस मुद्दे पर चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के एक भाग के रूप में अमेरिका के साथ वार्ता कर रहा है।

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए
चीन के साथ व्यापार

3954. श्री सु. थिरुनवुक्करासर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेश से, विशेष रूप से चीन से, वस्तुओं/उत्पादों के आयात हेतु कुल कितनी कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किया गया है;

(ख) क्या केंद्र सरकार को जानकारी है कि कुछ कंपनियों ने भारतीय मानक एवं सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए नकली/जाली एवं घटिया वस्तुओं/उत्पादों का आयात किया है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जिन्होंने विदेश से, विशेष रूप से चीन से, नकली/जाली एवं घटिया वस्तुओं/उत्पादों का आयात किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): अधिकांश वस्तुओं के लिए आयात नीति "मुक्त" है। आयात के लिए 11,500 से अधिक टैरिफ लाइनों में से केवल 407 टैरिफ लाइनें "प्रतिबंधित" हैं। "प्रतिबंधित" मदों के आयात के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। चीन से आयात भी अन्य घरेलू विधियों के अध्यधीन उन्हीं नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के तहत किए जाते हैं, जिनके तहत यह विश्व के अन्य देशों से, किये जाते हैं। विगत तीन वर्षों में आयात नीतियों के अनुसार 'प्रतिबंधित' के रूप में श्रेणीकृत मदों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों और उन लाइसेंसों, जिनमें आयातकों ने विशेष रूप से चीन को उद्गम का देश दर्शाया है, का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आयात वर्ष	जारी किए गए लाइसेंसों की कुल संख्या	उन लाइसेंसों की कुल संख्या जिनमें आयात का देश चीन के रूप में दर्शाया गया है
1	2016-17	500	29
2	2017-18	429	22
3	2018-19	558	38
4	2019-20 (जून 2019)	115	05
	कुल	1602	94

स्रोत डीजीएफटी

(ख) से (ग): नकली / जाली/ घटिया वस्तुओं के आयात को निवारित करने का प्रयास एक सतत प्रक्रिया है। विदेश व्यापार नीति के तहत, भारतीय उपभोक्ताओं और उत्पादकों की संरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, क्योंकि आयातित सामान समान घरेलू

विधियों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण और सुरक्षा मानदंडों के अधीन हैं। घरेलू वस्तुओं पर लागू बीआईएस मानक आयातित वस्तुओं पर भी लागू होते हैं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने भारत में नकली उत्पादों के आयात को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं, जो निम्नवत हैं :

i) दिनांक 30.06.2010 की अधिसूचना सं.51 / 2010-सीमा शुल्क (एनटी) यथासंशोधित दिनांक 22 जून 2018 की अधिसूचना सं. 57/2018- सीमाशुल्क (एनटी) को भारत में बिक्री या उपयोग के लिए उन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किया गया था, जो निम्नलिखित संविधियों के निर्दिष्ट विधिक प्रावधानों के तहत आते हैं, जो नकली व्यापार चिह्न, या डिज़ाइन की कपटपूर्ण स्पष्ट नकल, मिथ्या भौगोलिक संकेत या उत्पाद जो पंजीकृत स्वत्वाधिकार आदि का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को विनियमित करते हैं।

- (क) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999;
- (ख) स्वत्वाधिकार अधिनियम, 1957;
- (ग) डिजाइन अधिनियम, 2000;
- (घ) वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999; तथा

(ii) दिनांक 8 मई, 2007 की अधिसूचना सं 47/2007-सीमाशुल्क (एन.टी) द्वारा यथाअधिसूचित एवं दिनांक 22 जून, 2018 की अधिसूचना सं. 56/2018-सीमाशुल्क (एन.टी.) द्वारा यथा संशोधित बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित वस्तु) प्रवर्तन नियम 2007 अधिकार धारकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पालन किए जाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है, साथ ही इसमें सीमाशुल्क द्वारा संदिग्ध आयातित वस्तुओं के निर्गमन के निलंबन की भी व्यवस्था है ।

(iii) भारतीय सीमा - शुल्क ने विधिक उपायों के प्रभावी प्रशासन के लिए एक वेब - आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार माड्यूल अर्थात आईपीआर संरक्षण के लिए स्वचालित रिकॉर्डेशन और लक्ष्यीकरण (एआरटीएस) आरंभ किया है । एआरटीएस को जाली और पायरेटेड वस्तुओं के आयात को लक्ष्य करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क जोखिम प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ([http // ipr.icegate.gov.in](http://ipr.icegate.gov.in)) ।

भारत में पंजीकृत एवं वैध बौद्धिक संपदा अधिकार धारक, उल्लंघनकारी वस्तुओं के आयात के खिलाफ अपने आईपीआर संरक्षण के लिए उक्त विधिक प्रावधानों के अनुसरण में सीमाशुल्क में अपने बौद्धिक संपदा अधिकार की शिकायत रिकार्ड करा सकते हैं ।

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

चाय बागान श्रमिक

3932. श्री पल्लव लोचन दास:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में चाय बागान श्रमिकों की कार्यदशाओं के सुधार हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार चाय बागानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए किसी न्यूनतम मजदूरी सहायता अधिनियम को लागू करने की योजना बना रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने देश में चाय बागानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के आश्रितों को पर्याप्त मुआवजे का भुगतान करने हेतु किसी योजना को कार्यान्वित किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में चाय बागानों में कार्य कर रहे श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए अपनाए गए अन्य उपायों और नीतियों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) गत चार वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु संवितरित की गई कुल राशि कितनी है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ.): देश में चाय श्रमिकों की कार्यदशा को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एवं संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा लागू बागान श्रम अधिनियम (पीएलए), 1951 द्वारा शासित किया जाता है, जो, अन्य बातों के साथ - साथ, आधारभूत कल्याणकारी सेवाओं एवं आवासन, चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता नामक सुविधाएं प्रदान करता है।

चाय बोर्ड चाय श्रमिकों एवं उनके बच्चों/आश्रितों के लिए कुछ कल्याणकारी उपायों को भी करता है, जो प्रकृति में अनुपूरक हैं। श्रमिक कल्याणकारी उपायों को चाय विकास एवं संवर्धन स्कीम के तहत मानव संसाधन विकास (एचआरडी) घटक के दायरे में किया जाता है। चाय बोर्ड ने श्रमिकों और उनके बच्चों/आश्रितों के लाभ के लिए एचआरडी घटक के तहत विगत 4 वर्षों (2015 -16 से 2018 - 19) और चालू वर्ष (30.06.2019 तक- अनंतिम) में 17.76 करोड़ रूपए की राशि संवितरित की है।

चाय उद्योग के श्रमिकों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (असम चाय बागान भविष्य निधि, पेंसन निधि और जमा लिंक बीमा निधि स्कीम अधिनियम, 1955, - केवल असम के लिए), बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, औद्योगिकी विवाद अधिनियम, 1947 एवं औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 जैसी विभिन्न औद्योगिक एवं सामाजिक सुरक्षा विधियों द्वारा भी कवर किया गया है।

चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी उत्पादक एसोशिएसनों और श्रमिक यूनियनों के मध्य समझौते के अनुसार तय की जाती है।

दिनांक 17 जुलाई 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए
निर्यात प्रोत्साहन योजना

3916. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास राज्यों से निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उनको सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित कुल निधि का क्षेत्र-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए किए जा रहे प्रयासों में राज्यों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) सरकार द्वारा देश के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था में सुधार करने और इसमें अवरोधों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
- (च) क्या सरकार ने निर्यात के प्रोत्साहन हेतु कर में भी छूट हेतु प्रावधान किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ग): भारत सरकार ने राज्यों से निर्यात वृद्धि के लिए उपयुक्त अवसंरचना के निर्माण में केन्द्रीय और राज्य सरकार के अभिकरणों को सहायता देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017 -18 से ' निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) ' नामक एक स्कीम को हाल ही में शुरू किया है। यह स्कीम केन्द्रीय /राज्य सरकार के स्वामित्व वाले अभिकरणों को निर्यात अवसंरचना की स्थापना करने या उन्नयन करने के लिए इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करती। सीमा हाट, भू - सीमाशुल्क केन्द्रों, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं, शीत श्रृंखलाओं, व्यापार संवर्धन केन्द्रों, शुष्क बंदरगाहों, निर्यात भाण्डागारों और पैकेजिंग, एसईजेड और पत्तन/हवाई अड्डा कार्गो टर्मिनसों जैसे भारी निर्यात संपर्कों पर निर्यात अवसंरचना के लिए राज्यों द्वारा उनके अभिकरणों के माध्यम से इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। इस स्कीम के दिशानिर्देश <http://commerce.gov.in> पर उपलब्ध हैं

टीआईईएस स्कीम के तहत, वित्तीय वर्ष 2017 -18, 2018 -19 एवं 2019 -20 (1 जुलाई 2019 तक) के दौरान अब तक कुल 28 निर्यात अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। विभिन्न राज्यों /संघ शासित प्रदेशों में स्थित परियोजनाओं का राज्य वार और वर्ष वार विवरण अनुबंध - 1 में दिया गया है।

(घ) भारत सरकार राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समर्थकारी माहौल प्रदान करने और भारत से निर्यात बढ़ाने में राज्यों को सक्रिय भागीदार बनाने के लिए एक ढांचा सृजित करने तथा निर्यात संवर्धन के लिए उपायों के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर वार्ता करना सुनिश्चित करती है।

(ङ.) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत, डीजीएफटी अग्रिम प्राधिकार, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार, पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) एवं भारत सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) जैसी विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों में संचालित करता है। इन स्कीमों को प्रभावी बनाने के लिए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने विभिन्न छूट अधिसूचनाएं जारी की हैं। इन स्कीमों के लिए प्रदान की गई विभिन्न छूटों का विवरण एफटीपी में दिया गया है।

निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यातकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए 01.04.2015 से एफटीपी में एमईआईएस की शुरुआत की गयी थी। एमईआईएस का उद्देश्य वस्तुओं/उत्पादों का निर्यात करने में अन्तर्गस्त अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और उससे जुड़ी लागतों की भरपाई करना है। यह स्कीम निर्यातकों को किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 2,3,4,5,7 प्रतिशत की दर पर ड्यूटी क्रेडिट स्किप्स के रूप में प्रोत्साहित करता है। ये स्किप्स हस्तांतरणीय हैं और इनका उपयोग सीमा शुल्क सहित केन्द्रीय शुल्कों/करों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

जहां तक सेवा व्यापार संवर्धन का संबंध है; भारत सरकार कुछ अभिजात सेक्टरों को भारत सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) के जरिए वित्तीय लाभ प्रदान करती है। भारत सरकार एक बहुआयामी कार्यनीति का अनुसरण कर रही है जिसमें सेवा व्यापार संवर्धन के लिए बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार करार के जरिए सार्थक बाजार पहुंच पर वार्ता

करना, अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनीयों में भागीदारी करके व्यापार संवर्धन करना और विशिष्ट बाजारों और सेक्टरों के लिए फोकस्ड कार्यनीतियां तैयार करना शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, मेडिकल वेल्यू ट्रेवल आदि जैसे 12 चैंम्पियन सेवा सेक्टरों पर फोकस्ड ध्यान देने के लिए फरवरी 2018 में 'एक्सन प्लान फॉर चैंम्पियन सेक्टर सर्विसेज' का अनुमोदन किया गया है।

भारत को कृषि में वैश्विक शक्ति बनाने तथा कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीति साधनों के माध्यम से भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का उपयोग करने के लिए कृषि निर्यात नीति 2018 में आरंभ की गई थी। इस विस्तृत कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य भारतीय कृषकों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ समेकन करके कृषि निर्यातों को बढ़ाना है।

(च) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 क क में इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में नवस्थापित इकाइयों से मर्दों या वस्तुओं या प्रदत्त सेवाओं से आहरित लाभ और अर्जन की कटौती के लिए प्रावधान है। यह कटौती विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड(जे) में यथा-उल्लिखित उद्यमी को अपनी उस इकाई से करने की अनुमति है जो अप्रैल, 2006 के पहले दिन से प्रारंभ करके अथवा उसके पश्चात के किसी आकलन वर्ष से संगत विगत वर्ष के दौरान, परंतु अप्रैल 2021 के प्रथम दिन से पहले, मर्दों या वस्तुओं का विनिर्माण अथवा उत्पादन प्रारंभ करती है अथवा सेवा देना प्रारंभ करती है। इस कटौती की निम्नवत अनुमति है:

i) उस विगत वर्ष, जिसमें यूनिट इन मर्दों या वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन करना या सेवा प्रदान करना, जैसा भी मामला हो, शुरू करती है, से संगत आकलन वर्ष से शुरू कर के पाँच क्रमागत आकलन वर्षों की अवधि के लिए, इन मर्दों या वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात से आहरित लाभ एवं अर्जन का सौ प्रतिशत तथा अगले पाँच आकलन वर्षों तथा तत्पश्चात के लिए इन लाभों एवं अर्जनों का पचास प्रतिशत।

ii) अगले पाँच क्रमागत वर्षों के लिए उस विगत वर्ष, जिसके संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी, के लाभ एवं हानि खाते में से लाभ के पचास प्रतिशत से अनधिक राशि डेबिट की जाती है और वह निर्धारित के व्यवसाय प्रयोजनार्थ सृजित एवं उपयोग किए जाने वाले प्रारक्षित खाते (जिसे 'विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनर्निवेश रिजर्व खाता' कहा जाएगा) में जमा की जाती है।

टीआईईएस के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण [वित्तीय वर्ष 17-18 से वित्तीय वर्ष 19-20 तक (01.07.2019 तक)]				
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या	जारी किया की गई टीआईईएस निधि (करोड़ रु. में)
1	कर्नाटक	2017-18	3	5.85
		2018-19	0	2.85 *
		2019-20	0	0
		कुल	3	8.7
2	केरल	2017-18	1	6.5
		2018-19	0	6.5 *
		2019-20	0	0
		कुल	1	13
3	मणिपुर	2017-18	1	6
		2018-19	1	5.83
		2019-20	0	0
		कुल	2	11.83
4	आंध्र प्रदेश	2017-18	2	8.15
		2018-19	0	26.01 *
		2019-20	0	1.99 *
		कुल	2	36.15
5	तमिलनाडु	2017-18	2	14.78
		2018-19	4	15.65
		2019-20	3	6.56
		कुल	9	36.99
6	मध्य प्रदेश	2017-18	2	25.71
		2018-19	0	0
		2019-20	0	0
		कुल	2	25.71
7	उत्तर प्रदेश	2017-18	1	1.07
		2018-19	0	0
		2019-20	0	0
		कुल	1	1.07
8	महाराष्ट्र	2017-18	1	1.52
		2018-19	0	0
		2019-20	0	0
		कुल	1	1.52
9	त्रिपुरा	2017-18	1	6.15
		2018-19	0	0
		2019-20	0	0
		कुल	1	6.15
10	पश्चिम बंगाल	2017-18	1	4.27
		2018-19	0	2.56 *
		2019-20	0	0
		कुल	1	6.83
11	दिल्ली	2017-18	0	0
		2018-19	1	8
		2019-20	0	0
		कुल	1	8
12	राजस्थान	2017-18	0	0
		2018-19	2	3.06
		2019-20	0	0
		कुल	2	3.06
13	चंडीगढ़	2017-18	0	0
		2018-19	1	2.81
		2019-20	0	0
		कुल	1	2.81
14	असम	2017-18	0	0
		2018-19	0	0
		2019-20	1	3.95 **
		कुल	1	3.95 **
कुल योग			28	165.77
	* पहले से स्वीकृत परियोजना के लिए बाद की किस्तों का संवितरण शामिल है ** निधियां जो अभी वितरित की जानी हैं।			

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

चीन को तंबाकू का निर्यात

3910. श्री जयदेव गल्ला:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और चीन के बीच सात साल से अधिक के अंतराल के बाद चीन को भारतीय तंबाकू निर्यात करने के लिए एक समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तंबाकू उत्पादक, विशेष रूप से गुंटूर के उत्पादक, इस उपाय के माध्यम से लाभान्वित होने जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार आंध्र प्रदेश से, विशेष रूप से गुंटूर से चीन को तम्बाकू निर्यात पर जोर देने की योजना बना रही है; और

(घ) उपर्युक्त समझौतों का ब्यौरा क्या है और शेष अवधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): चीन को भारतीय तंबाकू का निर्यात करने के लिए भारत और चीन के बीच कोई भी समझौता नहीं किया गया है। तथापि, दिनांक 21.01.2019 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने चीन जनवादी गणराज्य के सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन (जीएसीसी) के साथ भारत से चीन में तंबाकू के निर्यात के लिए पादप स्वच्छता की आवश्यकताओं संबंधी एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये हैं। ऐसी उम्मीद है कि उक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से मुख्यतः आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में उत्पादित एफसीवी तम्बाकू के चीन को समग्र निर्यात में वृद्धि होगी। इस प्रोटोकॉल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

➤ यह प्रोटोकॉल दिनांक 21.01.2019 को हस्ताक्षरित किया गया था और यह प्रोटोकॉल हस्ताक्षर करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

➤ चीन को निर्यात किए गए तंबाकू पत्तों का उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होना चाहिए और इन्हें उपचारित किया गया हो तथा पुनः सुखाया गया हो, यह चीन के संगत पादप स्वच्छता तथा स्वच्छता नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हो तथा इस प्रोटोकॉल में यथा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

➤ तंबाकू के आयातकों को व्यापार संविदाओं पर हस्ताक्षर करने से पूर्व जीएसीसी से आयात संगरोध परमिट प्राप्त कर लेना चाहिए। संगरोध कीटों के प्रदूषण को रोकने के लिए तंबाकू के पत्तों को सुरक्षित रूप से एयरप्रूफ तरीके से पैक किया जाना चाहिए।

➤ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एवं एफडब्ल्यू) इस क्षेत्र में प्रभावी मॉनीटरिंग उपाय करेगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि तंबाकू उत्पादक क्षेत्र ब्लू मोल्ड मुक्त है।

➤ एमओए एंड एफ डब्ल्यू तंबाकू पत्तियों का निर्यात संगरोध निरीक्षण करेगा। तंबाकू पत्तों की जो खेप इस प्रोटोकाल में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करती है उसके लिए एमओए एंड एफ डब्ल्यू अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण कन्वेंशन (आईपीपीसी) के मानकों के अनुसार पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी करेगा।

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए
रत्नों और आभूषणों के निर्यात पर जीएसपी वापस लेने का प्रभाव

3908. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका ने जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रेफरेंस (जीएसपी) के अंतर्गत भारत से शुल्क लाभों को वापस ले लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या क्रिसिल रिसर्च लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस कदम से रत्नों और आभूषणों के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे निर्यातकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या पिछले वर्ष के व्यापार आंकड़ों के अनुसार रत्नों और आभूषणों सहित श्रम सघन क्षेत्रों में निर्यात बहुत ही कम रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जी हां। जीएसपी के तहत लाभों को दिनांक 5 जून, 2019 से वापस ले लिया गया है। कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान जीएसपी कार्यक्रम के तहत भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 6.3 बिलियन अम.डा. (यूएसटीआर आंकड़ों के अनुसार) के मूल्य का माल निर्यात किया जो वर्ष में यूएसए को भारत के कुल निर्यात का 12.1 % था। यूएसए द्वारा स्पष्ट किया गया कारण यह था कि भारत ने यूएसए को न्यायसंगत तथा उचित बाजार पहुंच प्रदान करने का आश्वासन नहीं दिया था।

(ख) और (ग): क्रिसिल रिसर्च लिमिटेड सरकारी अनुसंधान संगठन नहीं है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के विश्लेषण के अनुसार, हाल में जीएसपी लाभ को वापस लेने के कारण यूएसए को भारत के रत्न एवं आभूषण के कुल निर्यात के केवल 1% पर ही प्रभाव पड़ने की आशा है।

(घ) एवं (ङ.): जून, 2018 के साथ-साथ जून, 2019 में यूएसए को श्रम सघन प्रमुख क्षेत्रों के निर्यात :

(मूल्य मिलियन अम.डा.में)

(अ) अनंतिम)

क्र.सं.	वस्तु	जून 2018	जून 2019 (अ)	% वृद्धि
1	रत्न और आभूषण	727.3	608.06	-16.4
2	कपड़ा और संबद्ध उत्पाद	682.94	683.95	0.15%
3	चमड़ा और चमड़ा निर्माता	86.99	84.45	-2.92%

श्रम सघन क्षेत्रों सहित भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 और समय-समय पर लिए गए अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से अनेक उपाय किए हैं। एफटीपी निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजित करने और निर्यात सम्बंधी प्रोत्साहन स्कीमों तथा निर्यात उत्पादन के लिए इनपुट पर शुल्क रियायत/छूट पर देकर देश में मूल्यवर्धन में वृद्धि करने हेतु रूप रेखा प्रदान करता है। दिसंबर, 2017 में एफटीपी की मध्यावधि समीक्षा के समय भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) के तहत श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दरों में 2% की वृद्धि की गई। दिनांक 02.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए ब्याज समकरण स्कीम के तहत दर को बढ़ाकर 5% कर दिया गया और दिनांक 02.01.2019 से इस स्कीम के तहत व्यापारी निर्यातकों को शामिल किया गया। दिनांक 07.03.2019 को परिधान और मेड अप्स के निर्यातों को शामिल करते हुए राज्य एवं केन्द्रीय कर तथा उगाही छूट (आरओएससीटीएल) के लिए एक नई स्कीम को अधिसूचित किया गया। इसके अतिरिक्त, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग की अनेक स्कीमों के तहत अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने, निर्यात संबंधी अवसंरचना का सृजन करने आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

रबर उत्पादनकर्ता

3902. श्री थोमस चाज़िकाडन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या प्राकृतिक रबर के मूल्यों में गिरावट के कारण रबर उत्पादनकर्ताओं के समक्ष उत्पन्न गंभीर स्थिति के बारे में सरकार को जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में रबर उत्पादनकर्ताओं हेतु उचित मूल्य तंत्र अपनाया सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हो;
- (ख) क्या सरकार ने रबर उत्पादनकर्ताओं को 200 किलोग्राम प्रति किलो का न्यूनतम उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए हो और यदि हां, तो सरकार के पास “रबर स्थिरीकरण निधि” के अंतर्गत पड़ी हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की इस धनराशि को विहित तरीके से उत्पादन प्रोत्साहन के रूप में रबर उत्पादनकर्ताओं के मध्य संवितरित करने की संभावना है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय-सीमा तय की गई है;
- (घ) क्या सरकार घरेलू प्राकृतिक रबर उत्पादनकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु प्राकृतिक रबर पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या रबर उत्पादनकर्ताओं को कोई बकाया राजसहायता का भुगतान किया जाना है और यदि हां, तो उक्त बकाया राशि कितनी है और रबर उत्पादनकर्ताओं को शीघ्र राज सहायता का बकाया भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हो/उठाए जा रहे हो?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): विगत कुछ वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबर (एनआर) की कीमतें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपेक्षाकृत कम स्तरों पर रही हैं। तथापि, हाल के सप्ताहों के दौरान रबर की कीमतों में वृद्धि होने लगी है और जून, 2019 में आरएसएस 4 ग्रेड की औसत कीमत 150.29 रु प्रति किलोग्राम थी। प्राकृतिक रबर (एनआर) की कीमतें बाजार बलों और अन्य कई कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख उपभोक्ता देशों में आर्थिक विकास की प्रवृत्तियाँ, तेल/कृत्रिम रबर की कीमतें, मौसम की परिस्थितियाँ और भावी बाजारों में विकास शामिल हैं। घरेलू एनआर बाजार सामान्यतः क्षेत्र विशिष्ट एवं मौसमी घटकों के कारण कुछ विचलनों के साथ विश्व बाजार की प्रवृत्तियों का ही अनुसरण करता है घरेलू एनआर की कीमत एनआर के आयात सबद्ध होती हैं। इसलिए एनआर के आयात को विनियमित करने के लिए, सरकार ने शुष्क रबर के आयात पर शुल्क “20 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम” जो भी कम हो, को दिनांक 30.4.2015 से बढ़ाकर ‘ 25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी

कम हो ' कर दिया है । सरकार ने जनवरी,2015 में अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के तहत आयातित शुष्क रबड़ के उपयोग की अवधि को 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है । विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने प्राकृतिक रबड़ के आयात पर दिनांक 20 जनवरी 2016 से चेन्नई और नावाशेवा (जवाहर लाल नेहरू पत्तन) को प्रवेश के पत्तन के रूप में प्रतिबंधित करके पत्तन प्रतिबंध अधिरोपित किए हैं ।

(ख) और (ग): प्राकृतिक रबड़ को उन मदों में शामिल नहीं किया गया है जिनके लिए न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) अधिसूचित की जाती है । वाणिज्य विभाग में "रबड़ स्थिरीकरण निधि" शीर्ष के तहत कोई स्कीम नहीं है।

(घ): एन आर के सभी शुष्क प्रकारों (एचएस 40012,400122, और 400129) के लिए डब्ल्यूटीओ बाध्य दर 25 % है और लेटेक्स (एचएस 400110) की कोई बाध्य दर नहीं है वर्तमान में प्राकृतिक रबड़ के शुष्क रूप पर लागू दर 25% अथवा 30 रूपए प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो और लेटेक्स पर लागू दर 70% अथवा 49 रूपए प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो, है। चूंकि, एनआर के शुष्क रूप पर आयात शुल्क पहले ही 25% की बाध्य दर के बराबर है, इसलिए उस अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। लेटेक्स का आयात शुल्क पहले ही अधिक है और वर्ष 2018-19 में आयातित रबड़ का केवल 1.7% लेटेक्स था।

(ड.): वैसे तो सब्सिडी की कोई बकाया राशि लंबित नहीं है । अनुमोदित /आबंटित निधियों में से जितने आवेदनों को मंजूरी दी जा सकती थी, विगत वर्षों में उससे अधिक आवेदन प्राप्त हुए । जब कभी निधियां उपलब्ध होगीं, इन आवेदनों पर उनकी स्वीकृति की स्थिति,स्कीम दिशानिर्देशों और लाभार्थियों की पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा।

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए
कर्नाटक में एसईजेड

3899. श्री मागुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सहित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से लाभ प्राप्त करने वाले ग्रामीण और कृषि उद्योगों की संख्या का पता लगाया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं ;
- (ग) क्या एसईजेड में उक्त उद्योग सरकार के लिए पर्याप्त राजस्व धनराशि सृजित करने में सक्षम रहे हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उक्त उद्योगों में सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने और सख्त कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कुल 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अनुमोदित किए गए हैं। इन 7 एसईजेड में से 6 अधिसूचित किए गए हैं और 3 एसईजेड प्रचालनात्मक हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के काकीनाडा में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक एसईजेड अधिसूचित किया गया है और यह प्रचालन में है। भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एसईजेड में खाद्य और कृषि उद्योग इकाइयों द्वारा अर्जित राज्यवार राजस्व निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये)			
राज्य-वार	2016-17	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	4.33	8.01	5.30
गुजरात	0.01	1.22	1.37
केरल	2.49	3.14	4.58
मध्य प्रदेश	8.13	14.84	26.58
महाराष्ट्र	0.01	0.12	0.07
उत्तर प्रदेश	0.03	-	-
पश्चिम बंगाल	-	-	0.22
कुल	15	27.33	38.12

(ङ.): एसईजेड की इकाइयाँ आवश्यक सुरक्षा मानक अपना रही हैं जैसा कि संगत अधिनियमों/ नियमों में निर्धारित किया गया है।

भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड की सूची				
क्र. सं.	विकासकर्ता का नाम	एसईजेड का प्रकार	स्थान	एसईजेड की स्थिति
1	केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए)	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	मलप्पुरम जिला, केरल	अधिसूचित और प्रचालनात्मक
2	पैरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	अधिसूचित और प्रचालनात्मक
3	पर्ल सिटी (सीसीसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)	खाद्य प्रसंस्करण	तूतीकोरिन जिला, तमिलनाडु	अधिसूचित और प्रचालनात्मक
4	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण	दीमापुर, नागालैंड	अधिसूचित
5	अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद	सोनीपत, हरियाणा	अधिसूचित
6	सीसीएल उत्पाद (इंडिया) लिमिटेड	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	अधिसूचित
7	अक्षयपात्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण	मेहसाणा, गुजरात	औपचारिक अनुमोदन

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3874

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

संभार क्षेत्र

3874. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार संभार क्षेत्र के विकास के लिए एक पृथक संभार विभाग स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सड़कों, रेलवे, पोत परिवहन, नागर विमानन और राज्यों सहित संभार क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक समन्वय की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): वर्तमान में वाणिज्य मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रियतः विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ): जी हां । 'संभार क्षेत्र के समेकित विकास' के लिए वाणिज्य विभाग में अलग से एक प्रभाग सृजित किया गया है।
